

वैट क्या है ?

मूल्यवर्द्धित कर (वैट) एक बिक्री कर प्रणाली है। इस प्रणाली में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के प्रत्येक चरण पर हुए मूल्यवर्द्धन पर कर आरोपित किया जाता है। दूसरे शब्दों में बिक्री के प्रत्येक चरण पर इसके ठीक पूर्ववर्ती चरण पर चुकाये गये कर की राशि का सामंजन (सेट ऑफ) विनिर्माता / व्यवसायी द्वारा रिटर्न दाखिल करने के समय स्वतः कर लिया जाता है। इस प्रकार एक स्वचालित प्रक्रिया (Self Imposed Mechanism) के माध्यम से वैट की कड़ी अनवरत चलती रहती है, जब तक कि वस्तु उपभोक्ता के पास न पहुँच जाए।

उदाहरण के लिए इस बिक्री कर प्रणाली के अन्तर्गत सरसों तेल के विनिर्माण एवं अंतिम उपभोक्ता को बिक्री के क्रम में निम्नांकित तरीके से कराधान एवं कर सामंजन की प्रक्रिया है :-

Dealer	Out Put	Taxable		Value Added	Tax on		Tax to Govt.
		Purchase	Sale		Purchase	Sales	
D1	सरसों	0	400.00	400.00	0	16.00	16.00
D2	टीन	0	50.00	50.00	0	2.00	2.00
M1	सरसों तेल	450.00	600.00	150.00	18.00	24.00	6.00
C & F Agent	सरसों तेल	600.00	700.00	100.00	24.00	28.00	4.00
थोक विक्रेता	सरसों तेल	700.00	800.00	100.00	28.00	32.00	4.00
खुदरा विक्रेता	सरसों तेल	800.00	850.00	50.00	32.00	34.00	2.00
ग्राहक	सरसों तेल	884.00					34.00

विनिर्माण के क्रम में प्रयुक्त मालों पर चुकाये गए कर के सेट ऑफ की सुविधा प्रदान करने के फलस्वरूप सरकार को राजस्व में कुछ संभावित हानि है परन्तु इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि प्रतिस्पर्द्धी के बाजार में मालों के विनिर्माण की लागत मूल्य में कमी होने से वस्तुओं की कीमत में कमी आना एक स्वभाविक प्रक्रिया है।

➤ बिक्री के प्रत्येक चरण पर मूल्य आधारित कर के लगने से क्या अंततः उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ जायेगी ?

नहीं।

➤ वैट किन व्यापारी पर लागू होता है।

वैट निम्न प्रकार के व्यवसायियों पर लागू है :-

1. आयातक
2. उत्पादक
3. वितरक
4. थोक विक्रेता
5. खुदरा विक्रेता
6. संवेदक
7. किसी भी प्रकार की बिक्री/लीज करने वाले व्यवसायी ।

➤ यदि आप पूर्व से ही बिक्री कर के अन्तर्गत निबंधित हों तो क्या वैट के अन्तर्गत पुनः निबंधन करवाने की औपचारिकताएँ पूरी करनी होगी ?

नहीं

पूर्व से निबंधित व्यवसायियों को मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के लागू होने की तिथि से दो माह के अन्तर्गत मात्र दो पासपोर्ट आकार के अपने फोटो के साथ प्रपत्र JVAT 100 में अपने व्यवसाय से संबंधित ब्यौरे, वगैरह किसी शुल्क के, संबंधित अंचल कार्यालय में अपने पूर्व के निबंधन संख्या को नियमित करने हेतु दाखिल कर देना है।

➤ आखिर वैट क्यों ?

वैट एक आधुनिक एवं प्रगतिशील कर प्रणाली है, जो दुनियाँ के 130 देशों में लागू है। भारत के 29 राज्यों तथा 4 केन्द्र प्रशासित राज्यों में वैट कर प्रणाली लागू कर दी गई है। इस प्रणाली के निम्नवत् लाभ हैं :-

- (1) यह एक सरल, पारदर्शी तथा प्रगतिशील कर प्रणाली है।
- (2) व्यवसायी अनुकूल कर व्यवस्था।
- (3) मुख्य कर दर मात्र दो तरह की है 4 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत।
- (4) बहुत सी वस्तुओं पर प्रभावी कर दर में कमी।
- (5) बिक्री कर प्रणाली में कर पर कर आरोपण के दोष से मुक्ति।
- (6) सभी प्रकार के व्यवसायिक खरीद पर सेट ऑफ की सुविधा।
- (7) फॉर्मस का सरलीकरण।
- (8) पूर्व कर प्रणाली की प्रक्रियात्मक जटिलता से मुक्ति।
- (9) स्व कर निर्धारण की व्यवस्था।
- (10) व्यवसायियों द्वारा स्वतः कर अनुपालन की प्रेरणा।

➤ वैट प्रणाली में करदायित्व कब से प्रारम्भ होता है ?

वैट कर प्रणाली में कर दायित्व विभिन्न श्रेणी के व्यवसायियों के लिए निम्नवत है :-

क. आयातक	-	शून्य	
ख. विनिर्माता	-	रु0 2,00,000	
ग. (क) और (ख) से भिन्न व्यवसायियों के लिए			रु0 5,00,000.00
घ. कार्य संविदा तथा लीजिंग के व्यवसाय के लिए			रु0 25,000.00
ड. इसके अतिरिक्त किसी बिक्री तथा खरीद के लिए करदेयता सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।			

➤ रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या प्रक्रिया है ?

वैट के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया अत्यन्त ही सरल है।

कर दायित्व प्रारंभ होने के 30 दिनों की अवधि के अन्तर्गत व्यवसायी को विहित प्रपत्र JVAT 101 में निबंधन हेतु मात्र एक आवेदन देना होगा। यदि आवेदन पत्र सही और पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा और यदि सक्षम पदाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक वास्तविक है तो वह आवेदन प्राप्त होने के पाँच दिनों के अन्दर ही निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत कर देगा।

➤ स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है एवं इससे क्या फायदा है ?

स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत ऐसे व्यवसायियों को भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है जो कर दायित्व सीमा के नीचे है। एक वित्तीय वर्ष में 25,000/- रु0 के सकल आर्वात वाले व्यवसायी भी स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन लेकर वैट कर प्रणाली के अन्तर्गत देय सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

➤ TIN क्या है ?

TIN का मतलब Tax payer's Identification Number **gSA** वर्तमान कर व्यवस्था में निबंधित व्यवसायियों को निर्गत निबंधन संख्या के स्थान पर TIN निर्गत किया जायेगा। पूरे देश में किसी एक व्यवसायी का एक TIN होगा। इसे आयकर द्वारा निर्गत PAN की तरह ही माना जा सकता है।

➤ **टैक्स इनवाईस क्या है एवं इसे कौन निर्गत कर सकता है ?**

वैट व्यवस्था में प्रत्येक निबंधित व्यवसायी अपने कर देय माल की बिक्री के लिए टैक्स इनवाईस (रसीद) निर्गत करेंगे। उक्त टैक्स इनवाईस के आधार पर ही व्यवसायियों को चुकाये गए कर की राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। इस इनवाईस में बेचने वाले और खरीदनेवाले व्यवसायी का TIN अंकित करना जरूरी है। निबंधित व्यवसायी से निबंधित व्यवसायी के बीच के संव्यवहार हेतु टैक्स इनवाईस तथा निबंधित व्यवसायी से अनिबंधित व्यवसायी के बीच के संव्यवहार हेतु रिटेल टैक्स इनवाईस निर्गत करने का प्रावधान है।

➤ **टैक्स इनवाईस का क्या कोई विहित प्रपत्र है ? क्या एक्साइज इनवाईस और टैक्स इनवाईस अलग-अलग रखना अनिवार्य होगा ?**

टैक्स इनवाईस का कोई विहित प्रपत्र नहीं है। लेकिन इसमें कतिपय प्रविष्टियों का होना अनिवार्य है। उक्त प्रविष्टियों के साथ एक्साइज इनवाईस में भी अगर बिक्री एवं कर दर का सही सही उल्लेख है तो वह भी टैक्स इनवाईस माना जायेगा।

➤ **उपभोक्ताओ/अनिबंधित व्यवसायियों को माल बेचने पर कैसा विक्रय में निर्गत करना है ?**

उपभोक्ताओ/अनिबंधित व्यवसायियों को माल बेचने पर भी निबंधित व्यवसायियों को रिटेल इनवाईस निर्गत करना होगा।

➤ **वैट प्रणाली के अन्तर्गत इनपुट टैक्स किसे कहते है ?**

इनपुट का अर्थ है:-

1. पुर्नबिक्रय के लिए खरीदा गया माल।
2. उत्पादन या प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष प्रयोग हेतु खरीदा गया माल।
3. खनन में प्रत्यक्ष प्रयोग हेतु खरीदा गया माल।
4. उत्पादित माल के पैकिंग के लिए खरीदा गया माल।
5. पूँजीगत माल के रूप में खरीदा गया माल।

➤ **इनपुट टैक्स क्या है ?**

राज्य के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायी द्वारा दूसरे निबंधित व्यवसायी से इनपुट पर चुकाये गये टैक्स को इनपुट टैक्स कहते है।

➤ **इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ?**

इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब किसी व्यवसायी द्वारा खरीद के स्तर पर चुकाये गये कर के सामंजन की सुविधा है। राज्य के अन्दर किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा दूसरे निबंधित व्यवसायी से खरीदे गये इनपुट पर चुकाये गये कर का सामंजन ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है।

➤ **किन किन परिस्थितियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी ?**

राज्य के अन्दर खरीदे गये माल पर निम्न परिस्थितियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देय है :-

1. राज्य के अन्तर्गत बिक्री या पुर्नबिक्रय पर।
2. अन्तरराज्य व्यपार के क्रम में की गई बिक्री पर ।
3. भारत से बाहर निर्यात के क्रम में की गई बिक्री पर ।
4. खनन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त हेतु कच्चे माल की बिक्री पर ।
5. बिक्री हेतु राज्य के भीतर विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त कच्चे माल की बिक्री पर।
6. बिक्रय/पुनर्बिक्रय/ भारत के बाहर निर्यात के क्रम में की गई बिक्री के पैकिंग में प्रयुक्त माल पर।
7. पूँजीगत माल की खरीद पर चुकाये गए कर की राशि पर।

➤ **वैट लागू होने के ठीक पूर्व के स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या व्यवस्था है ?**

वैट नियमों के अनुसार व्यवसायी को 01.04.2006 की तिथि को उसके पास स्टॉक में मौजूद कर प्रदत्त मालों जो 01.04.2005 से 31.03.2006 के बीच खरीदे गए हों, की सूची बनाकर इनके क्रय बीजकों एवं अन्य साक्ष्यों के साथ विभाग में आवेदन देना है। आवेदन की जाँच तथा स्वीकृति के उपरांत पूर्व के स्टॉक पर चुकाये गए कर की राशि का समायोजन VAT के अन्तर्गत देय कर की राशि से की जायेगी।

➤ **इनपुट टैक्स रिफण्ड क्या है ? क्या नगद रिफण्ड भी होगा ?**

व्यवसायी द्वारा किये गये बिक्री के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की देय राशि के आधिक्य की स्थिति में इनपुट टैक्स रिफण्ड कर दिया जायेगा या अगली देय कर की राशि में सामंजन होगा।

लेकिन सिर्फ भारत से बाहर निर्यात के क्रम में या SEZ (Special Economic Zone) STP (Software Technology Park) EHTP (Electronic Hardware Technology Park) EOU (Export Oriented Unit) के द्वारा किये गये बिक्री पर ही विधिवत नगद रिफण्ड की सुविधा होगी ।

- वैट के अन्तर्गत कौन कौन से लेखापुस्त संधारित करना अनिवार्य है ?

जो लेखा वर्तमान में संधारित हो रहा है उससे भिन्न कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रपत्र बदल गया है यथा कैश मेमो की जगह Tax Invoice आदि।

- क्या छोटे करदाताओं के लिए लेखापुस्तों का संधारण अत्याधिक कठिन कार्य नहीं होगा ?

बिलकुल नहीं। सिर्फ खरीद/बिक्री की पंजी रखने से भी काम चलेगा।

- लेखापुस्त अपूर्ण रखन अथवा नहीं रखने पर दण्ड का क्या प्रावधान है ?

वही प्रावधान है जो वर्तमान वित्त अधिनियम 1981 में था।

- सेट ऑफ क्या होता है ? किस प्रकार के व्यवसायी सेट ऑफ का दावा कर सकते हैं ?

प्रयुक्त कच्चे माल पर चुकाये गए कर की राशि का उत्पादित माल की बिक्री पर देय कर की राशि में से समायोजन (Adjustment) को ही सेट ऑफ कहते हैं।

- सेट ऑफ का दावा करने के संबंध में क्या शर्तें हैं ?

पात्रता प्रमाण पत्र अंचल से प्राप्त करना होगा।

- रिटर्न किसे एवं कितने प्रकार का भरना है ?

वैट व्यवसायियों को मासिक एवं वार्षिक तथा कम्पाउंडिंग टैक्स जमा करने वाले व्यवसायियों को त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरणी दाखिल करना है किन्तु कर भुगतान के लिए VAT व्यवसायी को मासिक विवरणी भी देना होगा।

- एकीकृत निबंधन की क्या व्यवस्था है ?

यदि वैसा व्यवसायी, जिसके व्यवसाय की शाखाएँ या अतिरिक्त व्यवसाय स्थल राज्य के विभिन्न अंचलों में अवस्थित हो, एकीकृत निबंधन चाहता हो तो उसे पूर्व की ही तरह अपने व्यवसाय स्थल के मुख्य स्थल की घोषणा करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष इसकी अनुमति हेतु आवेदन पत्र दाखिल करना है। ऐसे आवेदन का निष्पादन आवेदन की तिथि से एक माह के अन्तर्गत कर दिया जाना है।

- **स्व कर निर्धारण का क्या अर्थ है ? क्या अब एसेसमेंट करवाने का झंझट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा ?**

स्व कर निर्धारण के लिए विवरणी में ही पूर्व में सूचना दे देना है साथ ही एक घोषणपत्र भर कर देना देना है बस Self Assessment हो गया।

- **टैक्स ऑडिट क्या है एवं किस आधार पर टैक्स ऑडिट होगा ?**

टैक्स ऑडिट व्यवसायी के द्वारा दाखिल किए गए विवरणियों की सत्यता की जाँच तथा विभिन्न प्रकार के दावों जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी शामिल है, की अनुमान्यता की जाँच हेतु लेखापुस्तकों एवं स्टॉक इत्यादि का पदाधिकारियों द्वारा किया जाने वाले निरीक्षण एवं जाँच कार्य है। सामान्यतः कार्यालय एवं व्यवसायी के व्यवसाय परिसर अथवा गोदाम में किया जायेगा।

परन्तु वैट अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया है कि टैक्स ऑडिट वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से चुने गये व्यवसायियों के विरुद्ध ही संचालित किया जायेगा। पूर्व की तरह पदाधिकारीगण अब स्वरूचि से इस प्रकार का निरीक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे।

- **ऑडिट असेसमेंट क्या है एवं क्या सभी व्यवसायियों का ऑडिट असेसमेंट होगा ?**

विवरणी में घोषित कर की राशि की गणना सही है या नहीं की जाँच करना ही ऑडिट असेसमेंट है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत सामान्यतः सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था है। परन्तु प्रत्येक वर्ष पूर्व निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत विहित पदाधिकारी द्वारा ऑडिट असेसमेंट हेतु चुना जाएगा। इसे आय कर विभाग द्वारा किया जाने वाले छान बीन के समतुल्य समझा जाए।

- **Presumptive Tax/ Compounding Tax क्या है ?**

छोटे छोटे व्यवसायी के लिए एक मुस्त कर की राशि निर्धारित करना ही Presumptive Tax/ Compounding Tax है। वैट प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी श्रेणी या प्रकार के व्यवसाय को, उसकी क्षमता एवं विस्तार के आधार पर, सकल विक्रय राशि को एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार एक मुस्त राशि Presumptive Tax के रूप में जमा करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।

साथ ही 50 लाख रुपये से कम सालाना विक्रय आवर्त वाले व्यवसायी कर समाहितकरण की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं जिसके अन्तर्गत सकल आवर्त का मात्र 0.5 प्रतिशत ही कर के रूप में जमा करना होगा।

- **क्या अब व्यवसाय स्थल का औचक निरीक्षण नहीं होगा ?**

* बिलकुल नहीं होगा। किन्तु जब भी होगा तो इसकी पूर्व सूचना आपको दी जायेगी।

* उक्त व्यवस्था वैट प्रणाली लागू होने के प्रारंभिक वर्ष, वर्ष 2006-07 के लिए लागू थी।

➤ शास्ति के क्या प्रावधान है ? क्या जेल भी जाना पड़ सकता है ?

वर्तमान में शास्ति के वही प्रावधान है जो पहले के अधिनियम में था। शास्ति स्थापित होने पर ही जेल जाना पड़ सकता है वह भी विरले ही।

➤ ठेकेदारों के मामले में वैट की गणना कैसे होगी ?

इसका प्रावधान Rule में कर दिया गया है।

ठेकेदारों के मामलों में कार्य संविदा के निष्पादन के क्रम में मालों के हस्तांतरण के कुल मूल्य राशि पर उक्त मालों हेतु विहित दर से कर की देयता बनती है। लेबर चार्ज, डिजाइनिंग/प्लानिंग/आर्किटेक्ट का शुल्क, मशीनों का भाड़ा, बिजली/इंधन इत्यादि पर खर्च, मजदूरों एवं श्रमिकों की आपूर्ति से प्राप्त लाभ इत्यादि पर कोई कर देयता नहीं है। कतिपय मामलों में, जहाँ किसी संविदा में श्रम भार की राशि एवं प्रयुक्त होने वाले मालों के मूल्य का स्पष्ट उल्लेख न हो, नियमावली में कार्य की प्रकृति के आधार पर श्रम भार के मद में स्वीकार्य राशि की प्रतिशतता निर्धारित कर दी गई है। उदाहरण के लिए टायर रिट्रेडिंग में यह 40 प्रतिशत तथा सिविल कार्य यथा भवन निर्माण, पुल निर्माण इत्यादि में यह 30 प्रतिशत है।

➤ ठीकेदारों द्वारा कय किए कैपिटल गुड्स पर सेट ऑफ मिलेगा अथवा नहीं ?

जाँचोपरान्त अनुमान्य होने पर मिलेगा।

➤ श्रोत पर कटौती के क्या प्रावधान है ?

Rule में स्पष्ट कर दिया गया है।

जहाँ किसी कार्य संविदाकार के द्वारा संपादित कार्यों का कुल निविदा मूल्य एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक हो वैसे मामलों में भुगतान करने वाले की यह जिम्मेवारी है कि किए जाने वाले भुगतान में से विहित दर (अधिकतम 10 प्रतिशत) से श्रोत पर कटौती कर सरकारी खजाने में जमा कर दे तथा ऐसी कटौती हेतु ठेकेदार को विहित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र दे।

परन्तु यदि ठेकेदार के द्वारा धारा 58 के अन्तर्गत कर समाहितकरण का विकल्प लिय गया हो तो वैसे ठेकेदारों के बिल से भुगतान के श्रोत पर कटौती नहीं करनी है।

➤ नई औद्योगिक इकाइयों को क्या कोई विशेष छूट अथवा प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है ?

नहीं।

➤ यदि पूर्व से ही औद्योगिक नीति के तहत किसी सुविधा/छूट का लाभ ले रहे हों तो वैट लागू होने के पश्चात् क्या स्थिति रहेगी ?

कोई छूट नहीं मिलेगा हाँ कर विमुक्ति के बदले कर आस्थगन की सुविधा का लाभ ले सकते वह भी 1993 की औद्योगिक नीति के तहत मात्र।